न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 10 / 2025	2025 / 44	10.02.2025	16.04.2025

1– नन्दराम पुत्र सोहनलाल उर्फ सोमियाराम जाति अहीर निवासी ग्राम झामूवास (दौलतपुर) तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(अपीलान्ट)

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 1777 वाके ग्राम फातियाबाद निर्णय दिनाक 23.11.2024 जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सुधीर कुमार गुप्ता – वकील अपीलान्ट

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1777 निर्णय दिनांक 23.11.2024 ग्राम फातियाबाद तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा नं0 644 / 0.7200 है0 का 11 / 456 भाग, 643 / 0.3200 है0 का 1 / 4 भाग, 648 / 0.57 है0, 656 / 0.22 है0 किता 2 रकबा 0.79 है0 का 1 / 2 भाग, 646 / 1 रकबा 0.45 है0 का 7 / 32 भाग वाके ग्राम फातियाबाद तहसील किशनगढबास आराजी को रहन रख कर मिन अपीलान्ट द्वारा केनरा बैक शाखा किशनगढबास से के.सी.सी ऋण लिया, ऋण की ऐवज में राजस्थान कृषि प्रचलन (कठिनाईया निवारण) अधिनियम 1974 की धारा 6(1) के तहत केनरा बैक शाखा किशनगढबास के हक में रहन का अंकन हुआ। जिसका मिन अपीलान्ट द्वारा केनरा बैक शाखा किशनगढबास से लिये गये ऋण के.सी.सी की अगायगी की गयी तथा बैक द्वारा के.सी.सी ऋण का नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनांक 12.11.2024 को दिया गया जिसमें आराजी खसरा नं0 का उल्लेख किया गया है, क्योकि खाता नम्बरान प्रत्येक चार साल में बदल जाता है। बैंक द्वारा जारी किये गये नोडयूज के आधार पर मिन अपीलान्ट द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु समस्त दस्तावेजात पटवारी हल्का बघेरीकंला तहसील किशनगढबास को दिया गया, जिस पर पटवारी हल्का बघेरीकंला तहसील किशनगढबास द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण संख्या 1777 दिनाक 18.11.2024 को दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुऐ Mutabik Patwari Report after Reexamine and Decoument Mismatch by Khate No 140, 249, 250, and 252 Mutation is not acceptable निरस्त / खारिज कर दिया गया। जिसकी सूचना मिन अपीलान्ट को

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

नही दी कि कौन से दस्तावेज मिसमैच हो गया है, जिसकी पूर्ति की जानी है, ऐसी कोई सूचना लिखित में अथवा मौखिक नही दी गयी है। ताकि अपेक्षित रिकार्ड की पूर्ति की जा सकती थी। लिहाजा तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुए नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा एक शपथ–पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है, कि अपीलान्ट के पिता सोनिया राम उर्फ सोहनलाल उर्फ सोमियाराम एक ही व्यक्ति के नाम है, साथ ही ग्राम पंचायत खेडा पंचायत समिति किशनगढबास के पत्र क्रमांक SP-I दिनांक 26.02.2025 की प्रति पेश की गयी।

विद्ववान वकील अपीलान्ट की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में वर्णित आराजी खसरा नं0 644/0.7200 है0 का 11/456 भाग, 643/0.3200 है0 का 1/4 भाग, 648/0.57, 656/0.22 है0 किता 2 रकबा 0.79 है0 का 1/2 भाग, 646/1 रकबा 0.45 है0 का 7/32 भाग वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास को रहन रख कर अपीलान्ट के द्वारा कैनरा बैंक शाखा किशनगढबास से K.C.C. ऋण लिया गया। ऋण की एवज में राजस्थान कृषि प्रचालन (कठिनाईया निराकरण) अधिनियम 1974 की धारा 6(1) के तहत अंकन हुआ, वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा केनरा बैंक शाखा किशनगढबास में लिये गये K.C.C. ऋण की अदायगी कर दी गयी है, तथा बैंक द्वारा K.C.C. ऋण का नोड्यूज प्रमाण पत्र दिनांक 12.11.2024 को जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1777 वाके ग्राम फातियाबाद तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर आवश्यक पूर्तिया करायी जाकर पुनः जांच कर विधि सम्वत पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल–शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल-तिजारा (राज०)